GOVERNMENT OF RAJASTHAN

राजस्थान सरकार

LAW AND JUDICIAL (A) DEPARTMENT

विधि एवं न्याय ;कद्ध विभाग

THE RAJASTHAN LIVE-STOCK IMPROVEMENT ACT,1958

राजस्थान पशु–धन सुधार अधिनियम, 1958

(Act No. 45 of 1958)

ख्अधिनियम सं0 45, 1958द्ध

First published in Rajasthan Gazette Extraordinary dated December 17,1958,
Part IV-A

LAW AND JUDICIAL (A) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, December 15,1958.

No.F.4 (58)-LJ/A/57. -- The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the Governor on the 6th day of December, 1958, and is published for general information:-

THE RAJASTHAN LIVE-STOCK IMPROVEMENT ACT, 1958.

(Act No.45 of 1958)

(Received the assent of the Governor on the 6th day of December, 1958)

An
Act

to provide for the improvement of Live-stock.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title, extent and commencement.* -- (1) This Act may be called the Rajasthan Live-Stock Improvement Act, 1958.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) This section shall come into force at once and the remaining provisions of this Act shall come into force in any area on such date as the State Government may be notification in the Official Gazette appoint; and different dates may be appointed for different areas, having regard to the need for taking action for the improvement of Live-stock in a particular area and to considerations of administrative convenience.

2. *Definitions.* - (1) In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) "Cow" includes a heifer;

(b) "Licence" means a licence granted under section 6, and "Licensed" and other cognate expressions shall be construed accordingly;
(c) " Live-stock Officer" means an officer or person appointed or invested with powers under section 3;
(d) A person is said to "keep" a bull if such person owns the bull or has the bull in his possession or custody.

3. *Live-stock Officer*. - The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint any officer or person to be a Live-stock Officer and assign to such officer such powers and duties under this Act as it may deem fit.

4. *Prohibition for keeping a bull for breeding or bringing a bull into certain areas*.- (1) No person shall keep a bull which has attained the prescribed age except under and in accordance with the terms, conditions and restrictions of a licence granted under section 6.

(2) No person shall bring into an area, from any place outside it, any bull which has attained the prescribed age (other than a bull licensed for the area) except in accordance with a permission in writing granted for the purpose by the Live-stock Officer for the area: such permission shall be granted only if the said officer is satisfied that the bringing of the bull into the area is not likely to affect the breed of cattle in the area.

5. *Permission necessary for letting loose or dedicating a bull*.- No person shall let loose or dedicate a bull except under and in accordance with the terms, conditions and restrictions of a permission granted in writing for the purpose by the Live-stock Officer for the area in which the bull is so let loose or dedicated.

6. *Grant of Licence*.- (1) Every licence for the keeping of a bull shall be granted by a Live-stock Officer authorised by the State Government by general or special order in this behalf in such form, for such period --------- subject to such terms, conditions and restrictions, as may be prescribed.
Provided that no fee shall be charged for the grant of a licence.
(2) Every licence shall mention the area for which the bull is licensed, with reference to the breed of the bull.

7. *Refusal to grant or revocation of licence*.- (1) Subject to rules, the Live-stock Officer, authorised to grant the licence, may refuse to grant or may revoke a licence, if in his opinion the bull appears to be --

(a) of defective or inferior conformation and likely to be get defective or inferior progeny; or

(b) permanently affected with any contagious or infectious disease; or

(c) permanently affected with any other disease rendering the bull unsuitable for breeding purposes; or

(d) of a breed which it is undesirable to propagate in the district or part of the district in which it is kept.

(2) The Live-stock Officer granting a licence may also revoke a licence if in the opinion of such officer there has been a breach of any of the terms or conditions of the licence.

(3) No person shall be entitled to any compensation for the revocation of a licence under sub-section (1) or sub-section (2).

(4) If a licence is revoked under sub-section (1) or sub-section (2), the Live-stock Officer revoking the licence shall give notice to that effect to the owner or the person stated there

in to be the owner of the bull and every such notice given in respect of a licence shall state the grounds for the revocation.

(5) No licence shall be refused or revoked unless the applicant for the licence or the licence holder, as the case may be, has been given a reasonable opportunity of being heard.

8. *Grant of duplicate licence*.-When the Live-stock Officer granting a licence is satisfied that the licence has been lost or destroyed, such officer may, subject to such conditions as may be prescribed, issue to the holder of the licence a duplicate thereof, and thereupon all the provisions of this Act with respect to the licence shall apply to the duplicate as if it were the original licence.

9. *Duration of licence*.-(1) A licence granted in respect of a bull shall remain in force until --

(a) the period specified therein expires, or

(b) it is revoked under this Act, or
(c) the bull dies or is castrated in the prescribed manner.

(2) Every licence shall, after it ceases to remain in force, be surrendered within a reasonable time to the Live-stock Officer who granted it, unless in the case of a licence so ceasing under clause (a) of sub-section (1) the renewal thereof is sought in the prescribed manner.

10. *Inspection of bulls*.- Any person who keeps a bull shall, at any reasonable time, at the place where the bull is for the time being, submit the bull for inspection by any Live-stock Officer when required by such officer to do so and render all reasonable assistance to that officer for the purpose of inspection.

11. *Power to order castration of bulls*. - (1) A Live-stock officer may, by notice served in the prescribed manner, require that any bull which has attained the prescribed age at the date when the notice is served and in respect of which no licence is for the time being in force under this Act, shall be castrated in the prescribed manner within one month after the notice takes effect. Such castration shall, if the owner or other person who keeps the bull requires, be performed or caused to be performed by the Live-stock Officer free of charge.

(2) For the purpose of this section, a notice shall be served on the owner of the bull or on any other person who keeps the bull.

12. *Restrictions on castration of bulls*.- No bull shall be castrated except in such manner as may be prescribed.

13. *Duty to produce licence*.- It shall be the duty of any person who for the time being keeps a bull, if a licence is in force in respect of the bull, to produce the licence--

(a) within a reasonable time, on demand made by a Live-stock Officer or any other officer authorised by general or special order by the State Government in this behalf in any place where the bull is for the time being, and

(b) before a cow is served by a bull, on demand made by the person in charge of the cow.

14. *Penalty for keeping or bringing a bull in contravention of this Act or rules or without or in contravention of licence.* - Whoever in contravention of this Act or any rule or order made under this Act or of any term, condition or restriction of a licence keeps a bull or brings a bull into any area shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to one hundred rupees.

15. *Penalty for letting loose or dedicating bull in contravention of section 5.*-- Whoever lets loose or dedicating a bull in contravention of the provision of section 5 or of any term, condition or restriction of a permission granted thereunder shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to one hundred rupees.

16. *Penalty for neglect or failure to comply with notice under section 11.* - Whoever neglects or fails to comply with a notice served in accordance with section 11 shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to twenty-five rupees.

17. *Penalty for neglect or failure to comply with requisition under section 10 or 13.* - Whoever neglects or fails to submit a bull for inspection under section 10 or whoever fails to produce a licence when required to do so in accordance with the provisions of section 13 shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to twenty-five rupees.

18. *Power of Live-stock Officer to castrate*.-(1) Whenever an offence under section 17 has been committed, or whenever any bull has not been castrated in compliance with the notice served under section 11, it shall be competent to a Live-stock Officer to castrate or cause to be castrated in the prescribed manner, the bull in respect of which such offence was committed or such notice was served, as the case may be. Such castration shall be performed or caused to be performed by a Live-stock Officer free of charge.

(2) It shall also be competent to a Live-stock Officer to seize any bull, if the person in whose ownership, possession or custody it is for the time being, is not known or cannot be ascertained after an inquiry in the prescribed manner. On such seizure the Live-stock Officer may, if he is of opinion that such bull has attained the prescribed age or is suffering from any of the defects or diseases specified in section 7, direct that the said bull shall be-

(a) castrated in the prescribed manner, and
(b) sold by public auction or sent to a pinjrapol:

Provided that if the owner of the said bull appears within fifteen days of such seizure and proves to the satisfaction of the Live-stock Officer that the said bull is of his ownership, then-

if the said bull-

(i) has not been sold by public auction, or
(ii) has been sent to a pinjrapol,

it shall be delivered to such owner on payment of the costs, charges and expenses incurred for the maintenance of the said bull and determined in the prescribed manner, or

(iii) if the bull has been sold by public auction, the proceeds of such sale shall be paid to such owner after deducting therefrom the costs, charges and expenses incurred for the maintenance and sale of the said bull and determined in the prescribed manner.

19. *Penalty for non- surrender of licence*.-- A person who in contravention of the provisions of sub-section (2) of section 9 fails to surrender a licence shall be punished with fine which may extend to twenty-five rupees.

20. *Penalty for castration in a manner not prescribed.* - Whoever castrates a bull in contravention of the provisions of section 12 shall be punished with fine which may extend to one hundred rupees.

21. *Power of Live -stock Officer to inspect or mark a bull or to enter premises.* -- For the purposes of this Act, a Live-stock Officer shall have power at all reasonable times --

(a) to inspect any bull ,

(b) to mark any bull with any prescribed mark in the prescribed manner, and

(c) to enter any premises or other place in the prescribed manner where he has reason to believe that a bull is kept.

22. *Officers bound to assist Live-stock Officers*.- All village officers, all village servants useful to the State Government and all officers of the department of revenue, agriculture, animal husbandry and veterinary science and of such other departments as the State Government may direct shall be bound-

(a) to give immediate information to a Live-stock Officer of the commission of any offence, or the intention or preparation to commit any offence , punishable under this Act, which may come to their knowledge;

(b) to take all reasonable measures in their power to prevent the commission of any such offence which they know or have reason to believe is about to be committed; and

(c) to assist any Live-stock Officer in carrying out the provisions of this Act.

23. *Cognizance of offences under the Act*.- No court shall take cognizance of any offence under this Act, except on a complaint made by a Live-stock Officer or any person authorised by such officer in that behalf.

24. *Live-stock Officer to be public servant*.- Every Live-stock Officer shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

25. *Protection of persons acting in good faith and limitation of suit and prosecution*.- (1) No suit , prosecution or other legal proceeding shall be instituted against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

(2) No suit shall be instituted against the State Government and no prosecution or suit shall lie against any Live-stock Officer in respect of anything done or alleged to be done, in pursuance of this Act, unless the suit or prosecution has been instituted within four months from the date of the act complained of.

26. *Revision*.- The State Government or an authority specified but it in this behalf may call for and examine the record of any order or the proceedings of any Live-stock Officer for the purpose of satisfying it so as to the legality and propriety of any order passed and as to the regularity of the proceedings of such officer. If in any case it shall appear to the State Government or such authority that any order or proceedings so called for should be modified, annulled or reversed, it may pass such order as may deem fit.

27. *Power of State Government to make rules*.- (1)The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision, such rules may be made for all or any of the following purposes, namely: -

(a) under section 3, prescribing the powers and duties to be exercised and performed by a Live-stock Officer and assignment of such powers or duties,

(b) under section 4, prescribing the age of the bull after which it shall not be kept without the licence,

(c) under section 6, prescribing the form of, the manner in which, and the term, conditions and restrictions on which, a licence shall be granted, transferred or renewed,

(d) under section7, prescribing the conditions subject to which a licence may be revoked,

(e) under section7and 11, prescribing the manner in which notice shall be served,

(f) under section 8, prescribing the conditions subject to which a duplicate of a licence may be granted,

(g) under section 11and 18, prescribing the manner in which a bull shall be castrated, and the manner in which inquiry regarding the ownership of a bull shall be made, and the costs, charges and expenses for the maintenance and sale of bull shall be determine, and

(h) under section 21, prescribing the manner and form in which a bull shall be marked and the manner in which a Live-stock Officer shall enter any premises or other place.

(3) Rules made under this section shall be subject to the condition of previous publication.

(4) Rules made under this section shall be laid before the Rajasthan Legislative Assembly at the session thereof next following.

28. *Power of State Government to apply the provisions of this Act to buffalo-bulls*.-- The State Government may , by notification in the Official Gazette, direct that all or any of the

provisions of the Act which have been brought into force in any area under section 1 shall apply to buffalo-bulls in such area from the date specified in such notification, and thereupon references to bulls and cows in the provisions of this Act so applied shall be construed as including references to buffalo-bulls and buffalo-cows respectively and this Act shall apply accordingly.

29. *Exemption*.- Nothing in this Act applies to bulls of any institution established for the purpose of keeping, breeding, rearing and maintaining cattle or for the purpose of reception, protection and treatment of infirm, aged or diseased cattle and specified by the State Government in this behalf by notification in the Official Gazette.

30.- *Repeal and Savings*.- (1) The Marwar Live-stock Improvement Act, 1947 (Marwar Act No.1 of 1947) in force in the former Marwar State, the Rules for the Improvement of Live-stock in the Alwar State ,1941, in force in the area of the former Alwar State, the Bombay Live-stock Improvement Act, 1933 (Bombay Act XXII of 1933) in force in the Abu area, the Madhya Bharat Gauvansh Sudhar Vidhan, Samvat, 2007 (Madhya Bharat Act 28 of 1950) in force in the Sunel area, the Ajmer Live-stock Improvement Act, 1954 (Ajmer Act XIII of 1954) in force in the Ajmer area and all corresponding laws in force in any other part of the State of Rajasthan are hereby repealed.

(2) Any licence issued and other thing done or action taken under any law repealed by this Act and force immediately before the commencement of this Act shall, so far as not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been issued, done or taken as the case may be under this Act.

PRABHU DAYAL LOIWAL
Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
कृषि ;ग्रुप – 3द्ध विभाग

राजस्थान पशुधन सुधार नियम 1973

प्रथम बार राजस्थान राजपत्र, विशेषांक, भाग 4 ;गद्ध, दिनांक 16.8.73 में प्रकाशित हुआ

कृषि (ग्रुप – 3) विभाग
अधिसूचना
जयपुर, अगस्त 8,1973

जी. एस. आर. 137:– राजस्थान पशुधन सुधार नियम, 1964 ; इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 15 ;132द्ध एस. सी. ए./59, दिनांक 18 सितम्बर,1964 के अधीन राजस्थान राजपत्र दिनांक 14 जनवरी, 1965 में प्रकाशित द्ध को, प्रतिष्ठित करते हुए तथा राजस्थान पशुधन सुधार अधिनियम, 1958 ; 1958 का राजस्थान अधिनियम, 45 द्ध की धारा 27 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्– द्वारा निम्नलिखित नियम, जो उक्त अधिनियम की उक्त धारा 27 की उपधारा ;3द्ध की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र, भाग 4;गद्ध , दिनांक 7 दिसम्बर, 1972 में पहिले प्रकाशित किये जा चुके हैं, बनाती है :–

राजस्थान पशुधन सुधार नियम, 1973

1. संक्षिप्त नाम :– इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजस्थान पशुधन सुधार नियम, 1973 है ।

2. परिभाषायें :– ;1द्ध जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो, इन नियमों में :–

;1द्ध अधिनियमश से राजस्थान पशुधन सुधार अधिनियम, 1958 ; 1958 का राजस्थान अधिनियम, 45 द्ध अभिप्रेत है,

;2द्ध सक्रिय सांडश से पूर्ण प्रजनन शक्ति रखने वाला कोई नर सांड अभिप्रेत है,

;3द्ध बधिया करनाश से किसी सांड की प्रजनन शक्ति समाप्त करने के प्रयोजनार्थ इन नियमों के अनुसार शस्त्र कर्म ;व्चमतंजपवद द्ध करना अभिप्रेत है तथा शब्दो बधिया किया गयाश तथा बधियाकरणश का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा,

;4द्ध निदेशकश से निदेशक, पशुपालन, राजस्थान अभिप्रेत है,

;5द्ध पंचायतश्से राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 ; 1953 का राजस्थान अधिनियम, 23 द्ध के अधीन स्थापित कोई पंचायत अभिप्रेत है ।

;6द्ध अनुसूचीश से इन नियमों के साथ लगी अनुसूची अभिप्रेत हैं ।

(7) धाराश से अधिनियम की धारा अभिप्रेत हैं,तथा
(8) गांवश से ऐसा गांव अभिप्रेत है,जिस पर धारा 1 की उप –धारा (3) के अधीन अधिनियम के उपबन्ध लागू किये गये है ।
(2) उन शब्दो तथा अभिव्यक्तियों, जिन्हे इन नियमों मे परिभाषित नही किया गया है परन्तु जिन्हे अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के वे ही अर्थ होगें जो उन्हे अधिनियम मे दिये गये हैं

3. विहित वय, जिसके पश्चात अनुज्ञप्त या बधिया नही किया गया सांड नही रखा जायगा :– कोई भी व्यक्ति, ऐसा सांड , जिसने डेढ वर्ष की वय प्राप्त करली हैं, तब तक नही रखेगा, जब तक कि ऐसे सांड के बारे में अनुज्ञप्ति प्रदान नही करदी गई है या ऐसे सांड को, इन नियमो के उपबन्धो के अनुसार बधिया नही कर दिया गया है, जैसी भी स्थिति हो ।

4. अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन–पत्र:– (1) जहां कोई सांड रखने वाला व्यक्ति,किसी सक्रिय सांड को, उसके द्वारा विहित वय प्राप्त कर लेने के पश्चात रखना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति सांड द्वारा विहित वय प्राप्त करने के कम से कम तीन मास पूर्व ऐसे साड के बारे मे, अनुज्ञप्ति के लिये, पशुधन अधिकारी को, आवेदन – पत्र देगा ।

(2) ऐसे आवेदन– पत्र में (1)ऐसे व्यक्ति का नाम और पता,जो ऐसा सांड रखता है, (2) वह स्थान, जहा ऐसा सांड देखा जाता है, (3) ऐसे सांड के चिन्ह, रंग, ऊंचाई तथा पहचान की अन्य विशिष्टियां, तथा (4) वह क्षेत्र,जिसके लिये सांड के लिये अनुज्ञप्ति दी जानी है, बतलाया जायगा ।

5. अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पूर्व सांड का निरीक्षण:– ऐसा आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर,पशुधन अधिकारी,सांड की वय के बारे में और इस बारे में कि क्या वह धारा 7 की उप–धारा(1) में वर्णित किसी विकार (कममिबज) से ग्रस्त है,या किसी रोग या दोष से प्रभावित है, उसका निरीक्षण करेगा ।

6. अनुज्ञप्ति प्रदान करना:– नियम (5) के अधीन निरीक्षण करने पर, यदि पशुधन अधिकारी का समाधान हो जाय कि सांड ,धारा 7 की उप –धारा (1)में वर्णित किसी भी रोग से ग्रस्त नही है या किसी भी विकार अथवा दोष से प्रभावित नही है तो पशुधन अधिकारी, अनुसूची 1 मे विहित प्ररूप मे ऐसे सांड के लिये अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा ।

7. अनुज्ञप्ति की कालावधि:– जिस कालावधि के लिये अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकेगी वह तीन वर्ष से अधिक की नही होगी।

8. अनुज्ञप्त सांडो के निशान लगाना:– ऐसे सांड के, जिसके लिये अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है,ऐसी रीति से, जिसके लिये निदेशक समय–समय पर निर्देश दे, दाहांकन द्वारा निशान लगाया जायेगा।

9. पशुधन अधिकारी द्वारा निरीक्षण कब अनिवार्य है:– धारा 7 की उप–धारा (1)मे विनिर्दिष्ट आधारों मे से किसी भी आधार पर किसी सांड के लिये अनुज्ञप्ति

प्रदान की जाने या उसका प्रतिसंहरण किये जाने की दशा में,इस सम्बन्ध मे कि क्या सांड,उस धारा में वर्णित किसी रोग से प्रभावित है, या किसी विकार या त्रुटि से ग्रस्त है, पशुधन अधिकारी की राय धारा 26 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये निश्चायक होगी ।

10. अनुज्ञप्ति का नवीकरणः– किसी सांड के सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति की कालावधि समाप्त होने से पूर्व, ऐसी अनुज्ञप्ति का धारक,उसके नवीकरण के लिये पशुधन अधिकारी को आवेदन करेगा । ऐसे आवेदन–पत्र पर,पशुधन अधिकारी, ऐसी कालावधि के लिये, जो 3 वर्ष से अधिक नही होगी, अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा, बशर्ते कि उसका समाधान हो जाय कि वह सांड जिसके लिये अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, धारा 7 की उप–धारा (1) मे वर्णित किसी भी रोग से प्रभावित नही है या किसी भी विकार या दोष से ग्रस्त नही है।

11. अनुज्ञप्ति का अन्तरणः– किसी अनुज्ञप्ति का धारक, पशुधन अधिकारी की लिखित पूर्व सम्मति से, ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो सांड का पालक हो चुका हो, अनुज्ञप्ति का अन्तरण कर सकेगा। ऐसे अन्तरण पर, पशुधन अधिकारी उस व्यक्ति का नाम, जिसे अनुज्ञप्ति का अन्तरण किया गया है,तथा वह तारीख,जिस तक उक्त अनुज्ञप्ति प्रवृत रहेगी, बतलाते हुए,अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन करेगा।

12. धारा 8 के अधीन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करनाः– (1)यदि धारा 6 के अधीन प्रदान की गई कोई अनुज्ञप्ति खो जाय या नष्ट हो जाय तो अनुज्ञप्ति धारी,उसकी दूसरी प्रति जारी करने के लिये पशुधन अधिकारी को आवेदन–पत्र देगा।

(2) उप–नियम (1)के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, पशुधन अधिकारी,ऐसी जांच जो वह ठीक समझे, करने के पश्चात् तथा इस बात से अपना समाधान हो जाने के पश्चात् कि अनुज्ञप्ति वास्तव मे खो गई है, या नष्ट हो गई है, नकद पचास पैसे की फीस का संदाय करने पर आवेदक को, अनुज्ञप्ति को एक रसीद प्रदान की जायेगी ।

(3)उप–नियम (2) के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति पर भदूसरी प्रति साफ–साफ अंकित किया जायेगा।

13. अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण की सूचनाः– जब कोई पशुधन अधिकारी, किसी सांड के सम्बन्ध में, किसी अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करे तो वह, अनुसूची 2 में विहित प्ररूप में अनुज्ञप्तिधारी को सूचना देगा ।

14. बधियाकरण की सूचना का प्ररूपः– धारा 11 के अधीन बधियाकरण की सूचना, अनुसूची 3 में विहित प्ररूप में दी जायेगी।

15 बधियाकरणः– (1)धारा 11 या धारा 18 के अधीन बधिया किये जाने के लिये निर्दिष्ट प्रत्येक सांड को, किसी बधिया मशीन द्वारा कारगर ढंग से बधिया किया जायेगा।

(2) यदि किसी सांड के बधियाकरण से पशुधन अधिकारी समाधित नही हो तो वह उसे दुबारा बधिया कर सकेगा या उसका बधियाकरण करवा सकेगा।

16. धारा 18 के अधीन जांच की रीति :– धारा 18 की उप धारा (2) के अधीन किसी सांड को अभिगृहीत करने से पूर्व, पशुधन अधिकारी, उस गांव जिसमें सांड रखा जाता है, की पंचायत द्वारा सांड के स्वामित्व के बारे मे जांच करवायेगा ।

17. सांड के भरण–पोषण के खर्चे का अवधारण तथा उसका विक्रय :– धारा 18 की उप–धारा (2) के अधीन अभिगृहीत किसी सांड के भरण–पोषण के खर्चे का सगणना करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित प्रभारों को पशुधन अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जायेगा :–

(1) सांड को, अभिग्रहण के स्थान से निरोध के स्थान तक ले जाने के लिये वास्तविक परिवहन प्रभार अथवा श्रम प्रभार,

(2) ऐसी दरों पर, जो किसी जिला मुख्यालय पर, पश्रु चिकित्सालय में ऐसे पशुओं को चारा देने के लिये स्वीकार्य है, चारा देने के प्रभार,

(3) ऐसी दरों पर, जो किसी जिला मुख्यालय पर,पशु चिकित्सालय में, ऐसे मामले में स्वीकार्य है, परिचर्या प्रभार,तथा

(4) सूचनायें जारी करने तथा तामील करने आदि में उपगत वास्तविक अनुपंगिक–प्रभारः परन्तु यदि स्वामी या ऐसा अन्य व्यक्ति जो सांड रखता है, इस प्रकार नियत की गई राशि को अस्वीकार करता है तो ऐसी राशि गांव की पंचायत द्वारा अवधारित की जायेगी और पंचायत का विनिश्चय अन्तिम होगा।

18. पशुधन अधिकारी के कर्तव्यः– पशुधन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह, अधिनियम के प्रयोजनो को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, अधिनियम या नियमों के अधीन उसे प्रदत्त सभी शक्तियों का या उनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग करे और विशिष्टतः यह व्यवस्था करे की किसी गांव में ऐसा कोई सांड नही रहे जिसने विहित वय प्राप्त करली है, जब तक कि ऐसे सांड के लिये कोई अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त न करली गई हो या जब तक कि ऐसे सांड को, इन नियमों द्वारा उपबंधित रीति से बधिया न कर दिया गया हो ।

19. पशुधन अधिकारी की, परिसर में प्रवेश करने की शक्ति :–(1) पशुधन अधिकारी को, अधिनियम या नियमों द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों में से किसी भी कर्तव्य का पालन करने के प्रयोजनार्थ, ऐसे किसी भी परिसर या स्थान में, जिसके सम्बन्ध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां सांड रखे जाते है, सर्योदय तथा सूयोस्त के बीच, किसी भी समय प्रवेश करने की शक्ति होगीः

परन्तु पशुधन अधिकारी, ऐसे परिसर या स्थान में प्रवेश करने से पूर्व ऐसे परिसर या स्थान के स्वामी या अधिभोगी को, अनुसूची 4 में विहित प्ररूप में लिखित सूचना दे सकेगा ।

(2) ऐसे मामलों में, पशुधन अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्ति के साथ, यावत्साध्य,ऐसे परिसर या सीान का स्वामी या अधिभोगी तथा सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच, या पटवारी, या कोई पुलिस अधिकारी जायेगा ।

20.सूचना की तामील :– अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी व्यक्ति को दिये जाने के लिए अपेक्षित सूचना या आदेश, निम्न प्रकार से तामील किया जायेगाः–

(क) ऐसे व्यक्ति को, या उसकी अनुपस्थिति में उसके परिवार के किसी व्यस्क सदस्य/ उसके एजेन्ट अथवा उसकी ओर से ऐसी सूचना या आदेश प्राप्त करने के लिये सम्यक्रूप से प्राधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति को, वैयक्तिक रूप से ऐसी सूचना या आदेश देकर या निविदत्त करके ।

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति ने स्थान छोड दिया है तथा–

(1)कही अन्यत्र उसका पता मालूम है तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा,

(2)यदि ऐसा पता मालूम नही है या यदि ऐसा व्यक्ति,ऐसी सूचना या आदेश की तामील से बचने के प्रयोजनार्थ अप्रकट रह रहा है या किसी भी अन्य कारण से, उपरोक्त तरीको में से किसी भी तरीके से सूचना या आदेश की तामील नही की जा सकती है तो प्रेषित के निवास स्थान, जहां वह साधारणतः निवास करता है, के किसी सहज दृश्य भाग पर उसे चिपकाकर, और ऐसी तामील उतनी ही प्रभावी मानी जायेगी, मानो वह प्रेषिति पर वैयक्तिक रूप से की गई हो ।

(3) संयुक्त स्वामित्व की दशा में, ऐसे स्वामियों में से किसी भी एक स्वामी पर सूचना या आदेश की तामील करना पर्याप्त होगा ।

21 निरसनः– राजस्थान पशुधन सुधार नियम,1964 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

अनुसूची –1
(नियम 6 देखिये)
सांड को रखने के लिये की अनुज्ञप्ति

श्री।श्रीमति।कुमारी .... निवासी ....को राजस्थान पशुधन सुधार अधिनियम,1958(1958 का राजस्थान अधिानियम 45) तथा राजस्थान पशुधन सुधार नियम,1973 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, इसमें इसके पश्चात उल्लिखित निबन्धनेां, शर्तो तथा निबन्धनेां के सदैव अध्यधीन पार्श्व में वर्णित सांड को............19....... से.........19..... तक की कालावधि के लिये दोनो को सम्मिलित करते हुये.............क्षेत्र, जिला..................में, प्रजनन के प्रयोजनार्थ रखने का उसे विशेषाधिकार प्रदान करते हुए एतद्द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, अर्थात :–

कम संख्या–...........................
सांड का नाम–.......................
(यदि कोई हो)
वय (अनुज्ञप्ति की तारीख को)
रंग ....
ऊंचाई–.................
चिन्ह–.................
अन्य विशिष्टयां–...............................
क्षेत्र, जिसके लिये सांड के संबंध में अनुज्ञप्ति दी गई हैं–......................

1. अनुज्ञप्ति –धारक, ऐसी किसी बीमारी, विकार, अंग विकार या रोग की सूचना पशुधन अधिकारी को देगा जिससे अभिजनन के प्रयोजनों के लिये सांड के अनुपयुक्त होने की सम्भावना है।

2. अनुज्ञाप्ति –धारक, अनुज्ञप्ति के प्रति संरहण के लिये किसी भी प्रतिकर का हकदार नही होगा ।

3. अनुज्ञप्ति –धारक, जब कभी पशुधन अधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाय, निरीक्षण के लिये सांड को प्रस्तुत करेगा।

4. अनुज्ञप्ति –धारक,सांड को ऐसी अच्छी अभिजनन स्थिति में रखेगा जिससे पशुधन अधिकारी का समाधान हो सके ।

5. अनुज्ञप्ति – धारक उस क्षेत्र की गायों को, जहां सांड रखा जाता है, अन्य क्षेत्रों की गायों पर अधिमान देकर,सांड की सेवा का फायदा देगा।

6. अनुज्ञप्ति –धारक अनुज्ञप्ति की कालावधि के दौरान सांड द्वारा की गई सेवाओं के सम्बन्ध में पशुधन अधिकारी को सम्पूर्ण जानकारी देगा।

7. जब अनुज्ञपत सांड को बेचा जाय या उसे अन्यथा अन्तरित किया जाय तो अनुज्ञप्ति धारक पशुधन अधिकारी को इनकी सूचना देगा ।

(हस्ताक्षरित)
पशुधन अधिकारी ।

अवधैयः– (क) इस अनुज्ञप्ति का नवीकरण,अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पशुधन अधिकारी का इस बात से समाधान कर देने पर किया जा सकेगा कि सांड एक अच्छा अभिजनक बना हुआ है तथा उसे अच्छी अभिजनन स्थिति में बनाये रखा गया हैं।

(ख) यह अनुज्ञप्ति, इसके किसी भी निबन्धन या शर्त के भंग किये जाने पर प्रतिसंहृत करली जायेगी।

अनुसूची 2
(नियम 12 देखिये)

प्रेषिति
श्री/श्रीमति/कुमारी.................................... निवासी.................... यतः मेरे ध्यान में यह बात आई है कि आप पार्श्व में वर्णित एक सांड रखते / रखती है जिसके लिये आपको..को एक अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी
क्रम संख्या....................................दाहांकन चिन्ह.............................
सांड का नाम, यदि कोई हो
वय
रंग
ऊंचाई
चिन्ह
अन्य विशिष्टियां
क्षेत्र,जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है

और यतःमेरी यह राय है कि,

सांड..................................(प्रतिसंहरण के लिए आधार) प्रतीत होता है, अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तो का भंग हो गया है क्योंकि............................. (प्रतिसंहरण के लिए आधार)
अतः राजस्थान पशुधन सुधार अधिनियम,1958(1958 का राजस्थान अधिनियम 45) की धारा 7 के अधीन मैंने अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण कर लिया है और में आपको उक्त प्रतिसंहरण की सूचना देता हूॅ, जैसा कि अधिनियम की उक्त धारा की उप–धारा (4) द्वारा अपेक्षित हैं।

(हस्ताक्षरित)
पशुधन अधिकारी

दिनांक...........19....

अनुसूची 3

प्रेषिति
श्री/श्रीमति/कुमारी..................................निवासी..........................यतः मुझे यह विदित हुआ है कि आप इसके नीचे वर्णित सांड के स्वामी है/सांड रखते/रखती है जिसके लिए अनुज्ञप्ति नही ली गई है ।नामंजूर कर दी गई है/प्रतिसंहृत करली गई है/ नवीकृत नही की गई है।
सांड का नाम,यदि कोई होः
अतएव,राजस्थान पशुधन सुधार अधिनियम,1958(1958 का राजस्थान अधिानियम 45)की धारा 11 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,मैं आपका सूचना

देता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर उक्त सांड को बधिया कराना होगा और ऐसा करने में आपके असफल रहने पर, आप उक्त अधिनियम 14 के अधीन दण्डनीय होंगे/होंगी ।

(हस्ताक्षरित)
पशुधन अधिकारी

दिनांक............19.......

टिप्पणीः– बधियाकरण पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा निःशुल्क किया जायेगा।

अनुसूची 4
(नियम 19 देखिये)

परिसर/स्थान में प्रवेश की सूचना

प्रेषिति

श्री/श्रीमति/कुमारी..................................निवासी....................यतः मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है कि आप (परिसर स्थान विनिर्दिष्ट कराये) पर एक सांड रखते है, अतः मैं एतद् द्वारा आपको सूचना देता हूँ कि............................को (यहां तारीख बताइये)........................(यहां समय बताइये) के बीच उक्त सांड /सांडों का निरीक्षण करने के प्रयोजनार्थ, उक्त परिसर/स्थान में प्रवेश करने का मेरा इरादा है,

आपको एतद् द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप सांड/सांडों को निरीक्षण के लिए तैयार रखें और सांडा/सांडो को पूर्वोक्त तारीख को परिसर,स्थान से तब तक न हटायें, जब तक उसका उनका मेरे द्वारा निरीक्षण नही कर लिया जाय ।

आज तारीख................19........

(हस्ताक्षरित)
पशुधन अधिकारी
(संख्या प. 6(142) कृषि–4166)
राज्यपाल के आदेश से,
के.वी.शंकरन,
विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान पशुधन सुधार नियम, 1973

राजस्थान पशुधन सुधार नियम,1973 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, ऐसा सांड जिसके डेढ वर्ष की आयु प्राप्त करली है, तब तक नही रखेगा, जब तक कि ऐसे सांड के बारे में अनुज्ञप्ति (अनुमति) प्रदान नही कर दी गई है या ऐसे सांड को इस नियमों के उपबन्धो के अनुसार बधिया नही कर दिया गया हैं ।

इस नियम में इस हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, अनुज्ञप्ति उसकी कालावधि पशुधन अधिकारी द्वारा निरीक्षण की अनिवार्यता, अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, अनुज्ञप्ति का अन्तरण एवं उसकी दूसरी प्रति जारी करने, सांड के बधियाकरण करवाने, सांड के भरण पोषण के खर्चे का अवधारण तथा विक्रय पशुधन अधिकारी के कर्तव्य, पशुधन अधिकरी की परिसर में प्रवेश करने की शक्ति आदि का समावेश किया गया हैं । इस हेतु अनुसूची 1 में सांड को रखने के लिए अनुज्ञप्ति पत्र का प्रारूप, अनुसूची 2 में पशुधन अधिकारी द्वारा उसे निरस्त करने का प्रारूप, अनुसूची 3 में सांड को निरीक्षण हेतु तैयार रखने के सन्दर्भ में सूचना के प्रारूप दिये गये है ।

उक्त नियम, राजस्थान पशुधन सुधार अधिनियम 1958 को कडाई से लागू करने हेतु तैयार किया गया हैं।